02.03.2021 आज यह पत्रावली वादी/प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151–152 सीपीसी प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वादी/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2021 में इस कदर संशोधन चाहा है कि लिपिकीय त्रुटि से वाद पत्र व राजीनामा में प्रश्नगत रकबा की बाबत वादी को चक नम्बर 10 एसएसडब्लयू बी ज़माबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 131/110 के पत्थर नम्बर 144/289 (15) 4/0.202, 7, 8/0.202, 18/0.203, 23/0.203 कुल 1.265 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.603 हैक. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने अनुतोष मांगने पर इस अनुसार निर्णय व डिक्री जारी हो गया जबकि उक्त रकबे में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 1.265 हैक्टेयर को 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु निर्णय व डिक्री में मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही खातेदारी घोषित की गई है। अतः श्रीमान् निवेदन है कि निर्णय व डिक्री में उक्त भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित करते हुये संशोधन किया जावे।

प्रार्थना–पत्र पत्र पर वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र वादी स्वीकार करते हुये इस न्यायालय द्वारा जारी इस प्रकरण में निर्णय दिनांक 25–02–2021 व डिक्री दिनांक 25.02.2021 उक्तानुसार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं कि चक 10 एस.एस.डब्लयू"बी" के खाता संख्या 131/110 पत्थर नम्बर 144/289 (15) के किला नम्बर 4/0.202, 7, 8/0.202, 13/0.202, 18/0.203, 23/0.203 कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.603 का वादी संख्या 1 के स्थान पर "वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इस अनुसार संशोधित पर्चा डिकी जार होकर पत्रावली फेसले के अनसार दाकखल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...त किया

...प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner